न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. इन्द्रसिंह 2. गोपालसिंह पिसरान मुकनसिंहजी 3. खंगारसिंह 4. नाथुसिंह पिसरान भवसिंहजी जातियान राजपूत साकिनान तावीदर तहसील रानीवाडा जालोर		1. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 2. समरथा पुत्र हिन्दू जाति भील निवासी तावीदर तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 राजपेरोकार।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।

–: निर्णय :–

दिनांक – 24.08.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी आराजी मौजा तावीदर तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 1073 रकबा 13.82 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पूर्व दिशा में सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1108 रकबा 6.11 हैक्टेयर आई हुई है। तथा उक्त सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1108 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1108 / 1228 आई हुई है।

   अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी के पडौस में सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1108 की आराजी स्थित होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 ने बिना किसी अधिकार के उक्त सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1108 पर अवैध अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1073 के बीच की माठ को अप्रार्थी संख्या 2 ने नष्ट कर दिया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा द्वारा दिनांक 28.03.2022 को प्रार्थीगण की आराजी की पैमाईश करने हेतु आदेश जारी किये थे, जिसकी पालना हल्का पटवारी मेड़ा द्वारा दिनांक 25.04.2022 को प्रार्थीगण की उक्त आराजी की जरीब चलाकर पैमाईश की गई तो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1073 की पैमाईश करवा कर माठ पर निशान करवाने में बाधा पैदा की, जिससे उक्त पैमाईश नहीं की गई। इसलिये प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर 1073 व सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1108 की राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पैमाईश करवा कर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1073 व 1108 के बीच की माठ पर सीमा पत्थर गड्ढी करवाने की अधिकारी है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की आराजी मौजा तावीदर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 13.82 हैक्टेयर व सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1108 रकबा 6.11 हैक्टेयर आराजी की राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पैमाईश कर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1073 व 1108 के बीच की माठ कायम कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। तथा अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जवाब पेश नहीं कर माठ की स्थिति को स्वीकार कर बहस करने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह सही है कि मौजा तावीदर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 13.82 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। उक्त आराजी के पडौस खसरा नम्बर 1108 व 1108/1228 जो कि राजकीय भूमि व अप्रार्थी खातेदार की आराजी है। खसरा नम्बर 1073 की पैमाईश प्रार्थी द्वारा करवायी गयी लेकिन पडौस अप्रार्थी द्वारा माठ पर निशानात नही करने दिये एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार दोनो खातेदारान के मध्य सीमाविवाद है जिसका सीमाकंन पुखता तौर पर किया जाना है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य आधार पर खसरा नम्बर 1073 रकबा 13.82 हैक्टेयर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जाती है तो भूमिधारी को कोई आपत्ति नही है। राजहित प्रभावित नही होता है।

4. प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व राजपेराकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी करने का निवेदन किया व अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 1 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.04.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर पडौसी खातेदार द्वारा विवाद करने पर सीमाकंन नहीं किया गया। तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा तावीदर पटवार हल्का मेड़ा के खसरा नम्बर 1073 व 1108 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद तावीदर पटवार हल्का मेड़ा के खसरा नम्बर 1073 रकबा 13.82 व 1108 रकबा 6.11 हेक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं [illegible] को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:55 IST
Reason: SelfAttested

को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:55 IST
Reason: SelfAttested